भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रशन संख्या 3550
उत्तर देने की तारीख 20दिसंबर, 2021
सोमवार, 29अग्रहायण,1943 (शक)

किसानों को कौशल विकास प्रशिक्षण

3550 श्री बालक नाथ: श्री जुगल किशोर शर्मा: श्री कुनार हेम्ब्रम:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों/कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है;

(ख) इन स्कीमों के माध्यम से कितने किसानों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ कोई निधि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में कितनी धनराशि निर्धारित और खर्च की गई; और

(ङ) महिला किसानों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर सहित पूरे देश में युवाओं के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित कौशल विकास स्कीमों को लागू कर रहा है:

क्रसं..	**स्कीम**	**उद्देश्य**
1	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अपनी प्रमुख स्कीम प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को लागू कर रहा है,

	(पीएमकेवीवाई)	जिसका उद्देश्य पूरे भारत में उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है। पीएमकेवीवाई के अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण को मान्यता (आरपीएल) नामक दो प्रशिक्षण घटक हैं।
2	जन शिक्षण संस्थानजेएसएस)) स्कीम	इस स्कीम का उद्देश्य असाक्षर, नव-साक्षर, 8वीं तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा वाले व्यक्तियों और 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। प्राथमिकता समूह महिलाएं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं। जन शिक्षण संस्थान न्यूनतम अवसंरचना और संसाधनों के साथ लाभार्थियों के पहुंच क्षेत्र में काम करते हैं। स्कीम के तहत कौशल विकास के लिए जन शिक्षण संस्थानों (एनजीओ) को अनुदान जारी किया जाता है। जेएसएस के 50% से अधिक लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और इसके कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अनेक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं।
3	राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)	यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं के नियोजन को बढ़ाने के लिए है।
4	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)	यह स्कीम देश भर में 14,711 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से 143 ट्रेडों में दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। इन्हें सीटीएस के तहत चलाया जाता है। पश्चिम बंगाल में 131 सरकारी आईटीआई और 135 निजी आईटीआई हैं और जम्मू और कश्मीर में 48 सरकारी आईटीआई और 1 निजी आईटीआई हैं।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग:

जैव प्रौद्योगिकी-कृषि नवाचार विज्ञान उपयोग नेटवर्क (बायोटेक-किसान) स्कीम वित्त वर्ष (2017-18) के दौरान सीधे लाभ अंतरण द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग और पहले स्थानीय किसान की समस्या को समझकर उपलब्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी को खेत से जोड़कर सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को विकसित करना और उन समस्याओं का समाधान प्रदान करने के माध्यम से बेहतर कृषि उत्पादकता के लिए छोटे और सीमांत किसानों विशेष रूप से महिला किसानों के साथ काम करना है। किसानों का प्रशिक्षण और कौशल बढ़ाने वाले कार्यकलाप उपरोक्त कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय:

राष्ट्रीय वनीकरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एनएईबी) जनसाधारण की सहभागिता के माध्यम से क्षत-विकृत वनों और आसपास के क्षेत्रों की पारिस्थितिक बहाली के लिए राष्ट्रीय

वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) लागू कर रहा है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य वन विकास एजेंसी (एसएफडीए), वन विभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी (एफडीए) और गांव में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के तीन स्तरीय संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (2018-19 से 2021-22) के दौरान 37110 हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लिए राज्यों को 162.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि और किसान कल्याण विभाग की वित्त पोषण सहायता से कुछ कौशल विकास कार्यक्रम चलाती है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और कुछ अन्य गैर-पीएमकेवीवाई स्कीमें एमएसडीई के तत्वावधान में भारतीय कृषि कौशल परिषद के माध्यम से पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के लिए चलाई जा रही हैं।

कृषि विस्तार पर उप मिशन (एसएमएई) के तहत 7 दिवसीय ग्रामीण युवा कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई): 'कृषि विस्तार पर उप मिशन' (एसएमएई) का 'ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण' (एसटीआरआई) पश्चिम बंगाल सहित देश में 2015-16 से लागू किया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं और किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि विवान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों सहित सार्वजनिक और निजी/गैर-सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 7 दिवसीय अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण(प्रति बैच 15 उम्मीदवार) प्रदान किया जाता है। एसटीआरवाईके तहत कौशल प्रशिक्षण के एक बैच के लिए 42,000 रुपये 400 रुपये प्रति किसान प्रति दिन का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत निधि का आबंटन राज्यवार नहीं है। एसटीआरवाई घटक की कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद को निधियां जारी की जाती हैं। 2018-19 से 2021-22 के दौरान एसएमएईके तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 28151 है।

(ख) पीएमकेवीवाई, जेएसएस, एनएपीएस, सीटीएस, बायोटेक-किसान, आईसीएआर कौशल विकास कार्यक्रम, आरकेवीवाई और कुछ अन्य गैर-पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित किसानों की संख्या क्रमशः **अनुबंध-I, अनुबंध-II, अनुबंध-III, अनुबंध-IV, अनुबंध-V, अनुबंध-VI** और **अनुबंध-VII**में संलग्न है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए कोई निर्दिष्ट बजट नहीं हैलेकिन सरकार प्रत्येक वर्ष किसानों, कृषि संबंधी कार्यकलापों में जनसाधारण के कौशल के लिए काफी खर्च करती है।

(घ) पीएमकेवीवाई, एनएपीएस के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में से प्रत्येक के दौरान निर्धारित निधि के विवरण **अनुबंध-VIII**और **अनुबंध-IX**पर हैं। बायोटेक-किसान स्कीम, आईसीएआर एनएसक्यूएफ संरेखित कौशल कार्यक्रमों और एसएमएई के लिए निधि विवरण **अनुबंध-X**पर हैं।

(ङ) सरकार महिला किसानों को कृषि उपकरणों के उपयोग सहित कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए आवश्यक ज्ञान से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण दे रही है। राष्ट्रीय कृषि महिला केंद्र (एनआरसीडब्ल्यूए) और कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) में शुरू किए गए अनेक कार्यक्रम इस दिशा में सही कदम हैं। एनआरसीडब्ल्यूए के तहत कृषि और घरेलू अर्थव्यवस्था पर जेंडर अध्ययन, तटीय कृषि-पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रबंधन, कृषक महिलाओं के लिए विस्तार विधियों, महिलाओं के विशिष्ट क्षेत्र पद्धतियों के मानकीकरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों, महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करने, कृषि संचालन, कृषक महिलाओं के अनुकूल कृषि प्रणाली में सुधार, कृषक महिलाओं के बीच सब्जियों के लिए पर्यावरण के अनुकूल कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियां, संवादमूल्क शिक्षण मॉड्यूल का मूल्यांकन, ग्रामीण जलीय कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी जरूरतोंऔर बीज और अनाज के भंडारण प्रथाओं में सुधार के क्षेत्रों में 16 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) कृषि उपकरण/सामग्री/औजार और मशीनरी सहित कृषि के विभिन्न पहलुओं पर किसानों और कृषक महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। केवीके ने 1.97 लाख कृषक महिलाओं, ग्रामीण लड़कियों और महिला विस्तार कर्मियों के लिए 28,544 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 64,601 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी शामिल थे।

अनुबंध I

'किसानों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण' के संबंध में 20.12.2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3550 के संदर्भ में।

पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में प्रशिक्षित उम्मीदवारों का ब्योरा:

21-नवंबर-21 तक एसआईपी रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में कृषि क्षेत्र संबंधी पीएमकेवीवाई 2.0 सीएससीएम अद्यतन			
प्रशिक्षण प्रकार	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रमाणित**	**नियोजन रिपोर्ट**
अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	15,556	13,404	8,616
पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)	8,862	7,501	-
योग	**24,418**	**20,905**	**8,616**
आरपीएल उम्मीदवारों को उन्मुख करता है और नियोजन अनिवार्य नहीं है			

21-नवंबर-21 तक एसआईपी रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर में कृषि क्षेत्र संबंधी पीएमकेवीवाई 2.0 सीएससीएम अद्यतन			
प्रशिक्षण प्रकार	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रमाणित**	**नियोजन रिपोर्ट**
अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)	507	307	213

<u>अनुबंध-II</u>

जेएसएस स्कीम के अंतर्गत, जम्मू और कश्मीर में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जेएसएस के प्रशिक्षित लाभार्थियों का ब्योरा:

वर्ष	जेएसएस के नाम	क्षेत्र	कार्यक्रम	लक्ष्य	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	योग
2019-20	जेएसएस जम्मू	बागवानी सहायक	फल उगाना (मॉड्यूल I)	80	2	77	1	80
	जेएसएस जम्मू	बागवानी सहायक	सब्जी उगाना (मॉड्यूल II)	100	2	97	0	99
2020-21	जेएसएस जम्मू	कृषि	नर्सरी कार्यकर्ता	80	36	43	0	79
	जेएसएस कुपवाड़ा	कृषि	मक्खियां पालनकर्ता	40	32	8	0	40
	जेएसएस कुपवाड़ा	कृषि	मशरूम उत्पादक (लघु उद्यमी)	40	40	0	0	40
	जेएसएस कुपवाड़ा	कृषि	नर्सरी कार्यकर्ता	40	32	8	0	40
	जेएसएस कुपवाड़ा	कृषि	छोटे पोल्ट्री किसान	40	20	20	0	40
		योग		420	164	253	1	418

जेएसएस स्कीम के अंतर्गत, **पश्चिम बंगाल** में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जेएसएस के प्रशिक्षित लाभार्थियों का ब्योरा:

वर्ष	जेएसएस के नाम	क्षेत्र	कार्यक्रम	लक्ष्य	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	योग
2018-19	जेएसएस बांकुरा	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	160	7	161	0	168
	जेएसएस बांकुरा	मशरूम की खेती और विपणन	मशरूम की खेती और विपणन	100	13	84	0	97
	जेएसएस हावड़ा	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	120	3	114	1	118
	जेएसएस जलपाईगुड़ी	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	60	0	60	0	60
	जेएसएस नरेंद्रपुर	जैव खेती	जैव खेती	20	15	5	0	20
	जेएसएस नरेंद्रपुर	फल और सब्जी प्रसंस्करण	फल और सब्जी	100	9	92	0	101

वर्ष	जेएसएस के नाम	क्षेत्र	कार्यक्रम	लक्ष्य	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	योग
		और संरक्षण	प्रसंस्करण और संरक्षण					
	जेएसएस पुरबा मिदनापुर	जैव खेती	जैव खेती	20	0	0	0	0
	जेएसएस पुरबा मिदनापुर	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	180	25	146	0	171
	जेएसएस पुरबा मिदनापुर	मशरूम की खेती और विपणन	मशरूम की खेती और विपणन	40	2	38	0	40
	जेएसएस पुरुलिया	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	80	0	91	0	91
	जेएसएस पुरुलिया	मशरूम की खेती और विपणन	मशरूम की खेती और विपणन	60	5	56	0	61
2019-20	जेएसएस बांकुरा	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	240	22	192	0	214
	जेएसएस बांकुरा	हैंड पंप तंत्र	हैंड पंप तंत्र	80	59	0	0	59
	जेएसएस बांकुरा	मशरूम की खेती और विपणन	मशरूम की खेती और विपणन	120	38	83	1	122
	जेएसएस हावड़ा	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	320	25	292	0	317
	जेएसएस हावड़ा	मशरूम की खेती और विपणन	मशरूम की खेती और विपणन	180	42	137	0	179
	जेएसएस जलपाईगुड़ी	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	160	9	150	0	159
	जेएसएस नरेंद्रपुर	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	220	7	165	0	172
	जेएसएस नरेंद्रपुर	बागवानी सहायक	नर्सरी की स्थापना और पौधों का प्रसार (मॉड्यूल VI)	40	0	0	0	0
	जेएसएस नरेंद्रपुर	मशरूम की खेती और विपणन	मशरूम की खेती और विपणन	20	0	0	0	0
	जेएसएस उत्तर 24-परगना	मशरूम की खेती और विपणन	मशरूम की खेती और विपणन	40	3	37	0	40
	जेएसएस पश्चिम मिदनापुर	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	360	47	307	0	354
	जेएसएस पुरबा मिदनापुर	जैव खेती	जैव खेती	60	10	41	0	51
	जेएसएस पुरबा मिदनापुर	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	280	6	269	3	278
	जेएसएस पुरबा मिदनापुर	बागवानी सहायक	नर्सरी की स्थापना और पौधों का प्रसार (मॉड्यूल VI)	40	11	28	0	39
	जेएसएस पुरबा	मशरूम की खेती और विपणन	मशरूम की खेती और	80	13	67	0	80

वर्ष	जेएसएस के नाम	क्षेत्र	कार्यक्रम	लक्ष्य	पुरूष	महिला	ट्रांसजेंडर	योग
	मिदनापुर		विपणन					
	जेएसएस पुरुलिया	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	फल और सब्जी प्रसंस्करण और संरक्षण	200	8	192	0	200
	जेएसएस पुरुलिया	हैंड पंप तंत्र	हैंड पंप तंत्र	180	180	0	0	180
	जेएसएस पुरुलिया	मशरूम की खेती और विपणन	मशरूम की खेती और विपणन	80	2	78	0	80
2020-21	जेएसएस बांकुरा	कृषि	मशरूम उत्पादक (लघु उद्यमी)	80	8	71	1	80
	जेएसएस बांकुरा	कृषि	नर्सरी कार्यकर्ता	80	11	29	0	40
	जेएसएस बांकुरा	कृषि	जैविक उत्पादक	80	0	0	0	0
	जेएसएस हावड़ा	कृषि	मशरूम उत्पादक (लघु उद्यमी)	120	40	80	0	120
	जेएसएस हावड़ा	कृषि	नर्सरी कार्यकर्ता	120	9	91	0	100
	जेएसएस जलपाईगुड़ी	कृषि	मशरूम उत्पादक (लघु उद्यमी)	60	12	48	0	60
	जेएसएस नरेंद्रपुर	कृषि	मक्खियां पालनकर्ता	40	0	0	0	0
	जेएसएस नरेंद्रपुर	कृषि	डेयरी किसान/उद्यमी	40	0	0	0	0
	जेएसएस नरेंद्रपुर	कृषि	औषधीय पौधे उत्पादक	60	0	0	0	0
	जेएसएस नरेंद्रपुर	कृषि	छोटे पोल्ट्री किसान	60	9	9	0	18
	जेएसएस उत्तर 24-परगना	कृषि	मक्खियां पालनकर्ता	100	0	0	0	0
	जेएसएस उत्तर 24-परगना	कृषि	नर्सरी कार्यकर्ता	40	0	0	0	0
	जेएसएस उत्तर 24-परगना	कृषि	छोटे पोल्ट्री किसान	120	8	112	0	120
	जेएसएस पुरबा मिदनापुर	कृषि	मशरूम उत्पादक (लघु उद्यमी)	180	17	83	0	100
	जेएसएस पुरबा मिदनापुर	कृषि	नर्सरी कार्यकर्ता	40	11	29	0	40
	जेएसएस पुरबा मिदनापुर	कृषि	छोटे पोल्ट्री किसान	80	8	12	0	20
	जेएसएस पुरुलिया	कृषि	पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता	40	18	2	0	20
	जेएसएस पुरुलिया	कृषि	मशरूम उत्पादक (लघु उद्यमी)	160	22	118	0	140
	जेएसएस पुरुलिया	कृषि	नर्सरी कार्यकर्ता	40	0	0	0	0
	जेएसएस पुरुलिया	कृषि	जैविक उत्पादक	160	38	42	0	80
	जेएसएस पुरुलिया	कृषि	छोटे पोल्ट्री किसान	40	0	20	0	20
योग				**5380**	**772**	**3631**	**6**	**4409**

<u>अनुबंध-III</u>

एनएपीएस कृषि और संबद्ध क्षेत्र (खाद्य प्रसंस्करण) के तहत संलग्न शिक्षुओं की संख्या निम्नलिखित है:

राज्य	**30 नवंबर 2021 तक एनएपीएस कृषि और संबद्ध क्षेत्र (खाद्य प्रसंस्करण) के तहत संलग्न शिक्षु**
पश्चिम बंगाल	139
जम्मू और कश्मीर	37
भारत (योग)	7544

<u>अनुबंध-IV</u>

पिछले तीन वर्षों से पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में सीटीएस के तहत कृषि क्षेत्रों में प्रशिक्षित उम्मीदवार।

राज्य	**2018**	**2019**	**2020**
पश्चिम बंगाल	0	143	93
जम्मू और कश्मीर	0	98	80

<u>अनुबंध-V</u>

बायोटेक किसान स्कीम के तहत प्रशिक्षित किसानों का ब्योरा:

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रशिक्षित किसानों की संख्या			
क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	**प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या (किसान + गैर-किसान)**	**कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के तहत प्रशिक्षित किसानों की संख्या**
1.	बायोटेक किसान	3,00,000 से अधिक	3,00,000 से अधिक

अनुबंध-VI

आईसीएआर एनएसक्यूएफ संरेखित कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित किसानों का ब्योरा:

क्र.सं.	वित्त-वर्ष	स्कीम का नाम	कृषि और संबद्ध क्षेत्र के तहत प्रशिक्षित किसानों की संख्या		
			सभी राज्य	पश्चिम बंगाल	जम्मू और कश्मीर
1	2018-19	एनएसक्यूएफ ने कृषि और किसान कल्याण विभाग से वित्त पोषण सहायता के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को संरेखित किया	15751	791	649
2	2019-20	एनएसक्यूएफ ने कृषि और किसान कल्याण विभाग से वित्त पोषण सहायता के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को संरेखित किया	16212	600	576
3	2020-21	एनएसक्यूएफ ने कृषि और किसान कल्याण विभाग से वित्त पोषण सहायता के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को संरेखित किया	2915	0	332
योग			**34878**	**1391**	**1557**

<u>अनुबंध-VII</u>

आरकेवीवाई और अन्य गैर पीएमकेवीवाई स्कीमों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण:

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए प्रशिक्षित किसानों की संख्या									
क्र.सं.	**स्कीम का नाम**	**जम्मू और कश्मीर** प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या (किसान + गैर-किसान)				**पश्चिम बंगाल** प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या (किसान + गैर-किसान)			
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	649	576	332	271	791	600	0	0
2	अन्य गैर पीएमकेवीवाई स्कीमें	65	63	0	50	982	6903	338	65
योग		**714**	**639**	**332**	**321**	**1773**	**7503**	**338**	**65**

अनुबंध-VIII

पीएमकेवीवाई के तहत संवितरण: पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित और व्यय की गई धनराशि:

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित और व्यय की गई धनराशि								
स्कीमें	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		***2021-22**	
	निर्धारित धनराशि	व्यय धनराशि	निर्धारित धनराशि	व्यय धनराशि	निर्धारित धनराशि	व्यय धनराशि	निर्धारित धनराशि	व्यय धनराशि
पीएमकेवीवाई	1887.96	1458.49	1464.00	1570.11	1253.58	1209.18	142	53.89
* 30 सितंबर, 2021 तक उपलब्ध कराए गए आंकड़े								

पीएमकेवीवाई के तहत संवितरण:जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल राज्यों को संवितरण:

							*धनराशि करोड़ रु. में
राज्य	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**सकल योग**
जम्मू और कश्मीर	3.12	53.28	28.99	41.29	37.63	10.25	174.56
पश्चिम बंगाल	7.76	86.37	60.89	66.48	33.08	10.76	265.34
* नोट: टीपी अदायगी के अलावा अन्य भुगतान सभी राज्यों में आनुपातिक रूप से विभाजित किए गए हैं							

<u>अनुबंध-IX</u>

एनएपीएस के तहत संवितरण: एनएपीएस के तहत ओजेटी (ऑन जॉब ट्रेनिंग पेआउट) और बीटीपी (बेसिक ट्रेनिंग पेआउट) संवितरण के लिए राज्य स्तर पर विवरण निम्नलिखित है।

स्थापना	मांग राशि(रु. में)
आंध्र प्रदेश	16,512,849
असम	106,024
चंडीगढ़	68,614
छत्तीसगढ	16,437
दिल्ली	16,275,106
गोवा	2,193,522
गुजरात	7,294,910
हरयाणा	19,563,100
हिमाचल प्रदेश	960,996
जम्मू और कश्मीर	**54,000**
कर्नाटक	41,377,356
केरल	1,635,461
मध्य प्रदेश	4,040,318
महाराष्ट्र	120,828,364
उड़ीसा	117,806
पंजाब	8,920,316
राजस्थान	6,748,935
तमिलनाडु	66,925,044
तेलंगाना	6,106,409
उत्तर प्रदेश	6,535,431
उत्तराखंड	3,293,436
पश्चिम बंगाल	**30,638,683**
सकल योग	**360,213,117**

<u>अनुबंध-X</u>

बायोटेक-किसान स्कीम के लिए निर्धारित धनराशि:

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित और खर्च की गई निधि (लाख रुपये में)								
स्कीमें	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**	
	निर्धारित धनराशि	व्यय धनराशि	निर्धारित धनराशि	व्यय धनराशि	निर्धारित धनराशि	व्यय धनराशि	निर्धारित धनराशि	व्यय धनराशि
बायोटेक-किसान	1500	1543.56	2000	3062.33	2000	1644.63	2000	747.49

एनएसक्यूएफ संरेखित कौशल विकास कार्यक्रमों के आईसीएआर वित्त पोषण विवरण:

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित और खर्च की गई निधि (रुपये)								
स्कीमें	**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**	
	निर्धारित धनराशि	**व्यय धनराशि**	**निर्धारित धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**निर्धारित धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**निर्धारित धनराशि**	**व्यय धनराशि**
एनएसक्यूएफ ने कृषि और किसान कल्याण विभाग से वित्त पोषण सहायता सहित कौशल विकास कार्यक्रमों को संरेखित किया								
सभी राज्य	151714764	130088693	207725371	137956620	127643578	61797966	-	-
पश्चिम बंगाल	5798080	5758745	7166540	6125663	3682502	395559	-	-
जम्मू और कश्मीर	5323600	4639863	147359	147359	3573076	3337932	-	-

<u>एसएमईई के तहत वित्तीय प्रगति:</u>

वर्ष	**निर्धारित धनराशि (करोड़ रुमें .)**	**व्यय**
2018-19	2.20	2.20
2019-20	2.56	2.56
2020-21	2.75	1.79
2021-22	3.04	1.65

****